न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2020/00093

श्रीमती माधुरी बालिग पत्नी श्री मुकेश बैरवा जाति बैरवा निवासी हाथी दुम्बा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान

—अपीलान्ट

बनाम

1. विजेन्द्र कुमार पिता धन्नालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी जर्ये मुख्तार आम अजय कुमार संरथलिया आत्मज श्री गोपीलाल सरथलिया तहसील मांगरोल जिला बांरा राजस्थान
2. पुष्पेन्द्र कुमार पिता धन्नालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी जर्ये मुख्तार आम अजय कुमार संरथलिया आत्मज श्री गोपीलाल सरथलिया तहसील मांगरोल जिला बांरा राजस्थान
3. सुरेन्द्र कुमार पिता धन्नालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी जर्ये मुख्तार आम अजय कुमार संरथलिया आत्मज श्री गोपीलाल सरथलिया तहसील मांगरोल जिला बांरा राजस्थान
4. नरेन्द्र कुमार पिता धन्नालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी जर्ये मुख्तार आम अजय कुमार संरथलिया आत्मज श्री गोपीलाल सरथलिया तहसील मांगरोल जिला बांरा राजस्थान
5. धन्नी बाई बालिग पुत्री श्री देवा एवं पत्नी श्री गोबरी लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बढाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी हाल निवासी प्लाट नंबर 31 ज्वाल नगर बैनाड रोड नाडी का फाटक जयपुर राजस्थान
6. श्रीमान उपपंजीयक महोदय इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :– 1. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक: 16.08.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी द्वारा वाद सं0 36/2016 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पो0 कम 01 लगायत 04 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 इस आशय का पेश किया गया कि कृषि भूमि खाता संख्या नई 327 पुरानी 335 की खसरा संख्या 297 रकबा 3.61 हे0, खसरा सं 689 रकबा 0.35 हे0, खसरा सं0 2483 रकबा 3.16 हे0, खसरा सं0 2487 रकबा 01 हे0 कुल 04 किता खसरा नंबरान की कुल रकबा 8.12 हे0 वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 में स्थित है। जिसके मूल खातेदार श्री देवा आत्मज श्री बाला जाति बैरवा निवासी ग्राम बडाखेडा द्वारा अपने जीवनकाल में उपरोत वर्णित संपूर्ण कृषि भूमि सहित अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत वादीगण एवं प्रतिवादी कम 02 की माता श्रीमती भंवरी उर्फ भूरी बाई बेवा श्री धन्नालाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी के पक्ष में कर दी थी। उपरोक्त वसीयतनामा दिनांक 03.06.1974 को उपपंजीयक कार्यालय केशोरायपाटन में पंजीकृत किया गया है। प्रार्थीगण की माता ने ही आजीवान श्री देवा जी की सेवा की थी। स्वर्गीय श्री देवा जी के समय से ही वादग्रस्त कृषि भूमि को प्रार्थीगण की माता एवं श्री देवा जी व प्रार्थीगण की माता के देहान्त के उपरांत प्रार्थीगण/वादीगण व प्रतिवादी कम 02 वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि स्वर्गीय श्री देवा जी की स्वयं की सम्पत्ति थी जिसे रहन, बय, दान वसीयत करने के स्वर्गीय श्री देवा जी को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। श्री देवा जी की मृत्यु के उपरांत राजस्व अधिकारियों द्वारा देवा जी का फौती इंतकाल खोलते समय एकमात्र प्रार्थीगण की माता का नाम दर्ज ना करते हुये उसमें अप्रार्थी संख्या 01/रेस्पो0 कम 05 एवं देवा जी की पत्नि मन्नीबाई के नाम भी दर्ज कर दिये। मन्नीबाई का देहांत हो चुका है एवं उसके पश्चात् मन्नीबाई का राजस्वा रिकार्ड में से नाम विलोपित किया जा चुका है एवं अब अप्रार्थी संख्या 01 का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में से हटवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 01 का उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में कभी कोई हिस्सा या हक अधिकार नहीं रहा है न ही उसका कही कब्जा काश्त है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 अपनी माता के समय से ही वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर काबिज काश्त है जिसमें से कुछ भूमि का वादीगण द्वारा दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया गया है एवं प्रतिवादी सं0 03 लगायत 05 को बेचान की गई कृषि भूमियों के अतिरिक्त शेष संपूर्ण कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 02 बतौर खातेदार मालिक काबिज काश्त है। कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 02 प्रतिवादी सं0 01 धन्नीबाई के नाम दर्ज कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 01 से कई बार वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने का निवेदन किया परन्तु प्रातिवादी सं0 01 हमेशा टालमटोल करती रही। वादीगण ने राजस्व अधिकारियों से भी इस हेतु निवेदन किया परन्तु उन्होने भी कोई कार्यवाही नहीं की एवं न्यायालय में वाद दायर करने को कहा। दिनांक 15.06.2016 को भी प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 से इस हेतु निवेदन किया

परंतु उसने इंकार कर दिया। वाद के निस्तारण में काफी समय लगने की संभावना है और इसके मध्य में यदि अप्रार्थी कम 01 प्रार्थीगण के हक अधिकार की कृषि भूमि का अवैध रहन, दान बेचान या अन्यत्र हस्तान्तरण कर दिया गया तो प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि से वंचित हो जावेगें जिससे कई नये विवाद उत्पन्न हो जायेगे तथा प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति की पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं हो पाएगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी कम 01 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया कि वे वादग्रस्त मूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी ना करे, एवं वादग्रस्त कृषि भूमि को अपने नाम कर आड में कहीं रहन, दान, बेचान, हस्तान्तरण ना तो स्वयं करे और ना ही अपने मार्फत किसी अन्य व्यक्ति से या कर्मचारी अथवा एजेन्ट आदि से करावें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर टी एक्ट अप्रार्थीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में अप्रार्थीगण को रिकार्ड की यथास्थिति मूल दावे के निर्णय तक बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 04 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 निरस्त किया जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। रेस्पोन्डेन्ट के बावजुद सुचना अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सूनी गई।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र में अपील में हुई देरी को क्षमा किये जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुई विलंब की अवधि को क्षमा किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2019 वस्तुस्थिति एवं कानून के आधारभूत सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर गौर नहीं कर भारी तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.12.2019 में अपीलांट द्वारा बहस में किये गये अभिकथनों एवं अपीलांट द्वारा पेश कानूनी नजीरों को अपने आदेश में कोई जिक नहीं किया न ही अस्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय में कानूनी बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया वाद सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का ही जिक किया है, इस प्रकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपीलांट सद्भाविक केता है, तथा खरीद की तारीख से शान्तिपूर्वक अपनी कय की गई भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। रेस्पो0 01 लगायत 04 ने मात्र रेस्पो0 सं0 05 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध भी अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.12.2019 खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में नॉनजोइन्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स होने के बावजुद भी अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानूनी प्रावधानों के अनुसार पारित नहीं किया गया है इस कारण भी खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत के अंतर्गत आर बी जे 2006 पेज 21, आर बी जे 2013 पेज 95, आर आर टी 2019(1) पेज 768, 184, आर आर टी 2003(2) पेज 1267, आर आर टी 2010(2) पेज 1421, 1210 पेश किये। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 खारिज फरमाने के लिए निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा दौराने बहस अधिवक्ताओं द्वारा

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली में संलग्न फोटोप्रति नामान्तरकरण संख्या 595 दिनांक 16.06.1989 खसरा किता 4 कुल रकबा 52 बीघा 14 बिस्वा देवा वल्द बाल्या कौम चमार सा.देह खातेदार के स्थान पर भूरीबाई व धन्नीबाई दुख्तर देवा व मन्नीबाई बेवा देवा के नाम खाते दर्ज करने के आदेश हुए। नामान्तरकरण संख्या 667 दिनांक 16.12.2010 से किता 4 रकबा 8.12 हैक्टेयर भूमि पर मृतक मन्नीबाई का नाम विलोपित किया गया। नामान्तरकरण संख्या 965 किता 4 कुल रकबा 8.12 हैक्टेयर भूमि पर मृतक भूरीबाई के स्थान पर विजेन्द्र कुमार पुष्पेन्द्र कुमार सुरेन्द्र कुमार नरेन्द्र कुमार पिता धन्नालाल मुनेश पुत्री धन्नालाल हिस्सा 1/2 में दर्ज रिकॉर्ड हुआ। जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 के अनुसार खसरा नम्बर 297 रकबा 3.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 689 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2483 रकबा 3.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2487 रकबा 1.00 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 8.12 हैक्टेयर भूमि भूरीबाई धन्नीबाई दुख्तर देवा मन्नीबाई बेवा देवा सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है, उक्त जमाबंदी में अंकित नोट नामान्तरकरण संख्या 667 दिनांक 16.12.2010 से किता 4 रकबा 8.12 हैक्टेयर भूमि पर मृतक मन्नीबाई का नाम विलोपित किया जाना अंकित है तथा नोट नामान्तरकरण संख्या 965 किता 4 कुल रकबा 8.12 हैक्टेयर भूमि पर मृतक भूरीबाई के स्थान पर विजेन्द्र कुमार पुष्पेन्द्र कुमार सुरेन्द्र कुमार नरेन्द्र कुमार पिता धन्नालाल मुनेश पुत्री धन्नालाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जाना अंकित है। नामान्तरकरण संख्या 1068 दिनांक 05.08.2013 से जरिये विकय–पत्र सम्पूर्ण खाते में हिस्सा 1/2 में से विजेन्द्र कुमार पुष्पेन्द्र कुमार सुरेन्द्र कुमार नरेन्द्र कुमार के हिस्सा 4/5 पर मधुसूदन नायक आत्मज टीकमचन्द नायक हिस्सा 4/5 जाति नायक निवासी तलवाड़ा तहसील बारां जिला बारां खातेदार दर्ज करने का अंकन है। नामान्तरकरण संख्या 1131 दिनांक 05.02.2014 विकय से खसरा नम्बर 297 रकबा 3.61 हैक्टेयर में मधुसूदन आत्मज टीकमचन्द के हिस्से 4/10 पर केता खाना आत्मज भूरा जाति बैरवा निवासी अरनेठा तहसील नैनवां का नाम दर्ज करने का अंकन है। नामान्तरकरण संख्या 1242 दिनांक 05.10.2014 विकय से खाना S/O भूरा के हिस्से 4/10 पर रामस्वरूप आत्मज मोडलराम जाति चमार निवासी ललितखेड़ा के नाम खाते दर्ज करने का अंकन है। नामान्तरकरण संख्या 1378 जरिये विकय–पत्र खसरा नम्बर 689 रकबा 0.35 में केता बाबूलाल आत्मज मंगला का नाम दर्ज किया जाना अंकित है। नामान्तरकरण संख्या 1391 दिनांक 05.02.2016 विकय–पत्र से मधुसूदन नायक के स्थान पर केता अनूपबाई पत्नी देवीशंकर हिस्सा 4/10 जाति खटीक निवासी करवर तहसील नैनवां खातेदार दर्ज किया जाना अंकित है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार ग्राम बडाखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की विवादित भूमि खसरा नं0 297 धन्नीबाई दुख्तर देवा हि. 1/2 मुनेशी पूत्री धन्नालाल हि. 1/10 खाना आ0 भूरा हि. 4/10 जाति बैरवा निवासी अरनेठा तहसील नैनवां की सहखातेदारी में दर्ज है तथा संलग्न फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार ग्राम बडाखेड़ा तहसील

इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की विवादित भूमि खसरा नं0 689, 2483, 2487 किता 3 रकबा 4.51 हैक्टेयर मुनेश पुत्री धन्नालाल हि. 1/10 सा. हाल लाखेरी खाते. धन्नी दुख्तर देवा हि. 1/2 जाति बैरवा सा.देह मधुसूदन आ0 टीकमचन्द जाति नायक नि. तलवाड़ा तहसील व जिला बारा हि. 2/5 की सहखातेदारी में दर्ज है। पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 15.05.2013 संलग्न है। पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 27.06.2016 संलग्न है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रत्येक का हिस्सा 1/5 अर्थात कुल हिस्सा 4/5 का नामान्तरकरण संख्या 1068 दिनांक 05.08.2013 से जरिये विक्रय–पत्र दिनांक 15.05.2013 से अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर चुके है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि दिनांक 15.05.2013 को विक्रय किये जाने से वाद दायर की तिथि 28.06.2016 को तथा वर्तमान में उक्त विवादित आराजी में सहखातेदार नहीं है। अतः प्रारंभ से देवा की पुत्रीयां भूरीबाई व धन्नीबाई सहखातेदार रही है तथा अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 27.06.2016 से धन्नीबाई(रेस्पोडेन्ट संख्या 5) पुत्री देवा की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 297 रकबा 3.61 व खसरा नम्बर 689 रकबा 0.35 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 3.96 हैक्टेयर में से उसका 1/2 हिस्सा क्रय किया गया है। इस प्रकार वाद दायर की तिथि 28.06.2016 से एक दिन पूर्व अपीलांट द्वारा उक्त भूमि क्रय किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 अपने हिस्से की भूमि को विक्रय कर चुके है तथा वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। प्रारंभ से देवा की पुत्रियां भूरीबाई व धन्नीबाई सहखातेदार रही है तथा अपीलांट ने एक सहखातेदार धन्नीबाई से भूमि दिनांक 27.06.2016 को पंजीकृत विक्रय–पत्र से क्रय की है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण रेस्पो0 1 से 4 के साथ–साथ अप्रार्थीगण सं0 01 व 04 दोनों के पक्ष में है। इसी प्रकार प्रार्थीगण रेस्पो0 सं0 1 से 4 व अपीलांट अप्रार्थी संख्या 4 व अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अपना कब्जा काश्त बताया है। केवल स्वयं प्रार्थीगण का ही उक्त भूमि पर कब्जा हो ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। दोनों पक्षों ने अपना अपना कब्जा काश्त होने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण व अप्रार्थी अपीलांट दोनों के पक्ष में प्रतीत होता है। विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा वर्तमान तक नहीं हुआ है । हम अधीनस्थ न्यायालय के इस फाईडिंग से सहमत है कि प्रार्थीगण की ओर से रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 30.06. 1974 को आधार बनाकर अधिकार घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है तथा इसका निर्धारण उभयपक्षकारान की साक्ष्य के उपरांत अंतिम रूप से निर्णय होगा। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने माना कि मूल वाद के दावे तक विवादित संपत्ति को सुरक्षित रखना आवश्यक है परंतु हमारे मत में चूंकि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 ने पूर्व में उनके हिस्से में आई भूमि विक्रय कर दी है तथा अप्रार्थीगण सं0 1/रेस्पोडेन्ट संख्या 5 रिकॉर्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थी संख्या 4 ने जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र भूमि क्रय की है तो ऐसी परिस्थिति में विवादित भूमि को संरक्षित रखने एवं वाद बहुलता बढने से रोकने हेतु उभयपक्ष

प्रार्थीगण रेस्पो0 सं0 1 से 4 व अप्रार्थी संख्या 4 अपीलांट व अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 उभयपक्ष को पाबंद किया जाना उचित होगा। ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष द्वारा विवादित भूमि को संरक्षित बनाए रखना उचित होगा। अतः हम विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.12.2019 में आंशिक संशोधन करना उचित समझते हैं। हमारे मत में उभयपक्ष द्वारा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद के निस्तारण तक बनाए रखा जाना उचित होगा। अतः उभयपक्ष विवादित भूमि के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाए रखे।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय दिनांक 26.12.2019 निरस्त किया जाता है। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

11. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा